



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18042026-271907
CG-DL-W-18042026-271907

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13| नई दिल्ली, अप्रैल 12—अप्रैल 18, 2026, शनिवार/चैत्र 22—चैत्र 28, 1948
No. 13| NEW DELHI, APRIL 12—APRIL 18, 2026, SATURDAY/CHAITRA 22—CHAITRA 28, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 91.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे (वर्ग 3 तथा वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1968, जहां तक उनका संबंध व्यवसाय चिकित्सकों के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई में व्यवसाय चिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई, व्यवसाय चिकित्सक, (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
व्यवसाय चिकित्सक	04*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35,400-112,400 रु.)।	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) आवश्यक; (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यवसाय चिकित्सा में स्नातक की डिग्री; या (ii) कम से कम पचास बेड वाले किसी सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल में व्यवसाय चिकित्सा का दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। (ख) वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी शाखा में व्यवसाय चिकित्सा में मास्टर डिग्री। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी ; (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29,200-92,300 रु.) में नियमित आधार पर उस पद में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - अपर निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई - उप निदेशक (पुनर्वास)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	3. आचार्य (भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई, - सदस्य; 4. व्यवसाय चिकित्सा के प्रमुख, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई - सदस्य।	
--	---	--

[फा. सं. A-11018/02/2016- एम.एच.-II / एनसीडी-I]

नवीन अग्रवाल, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 9th April, 2026

G.S.R. 91.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation Bombay (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the post of Occupational Therapists, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Occupational Therapist in the All India Institute of physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Ministry of Health and Family Welfare namely:-

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Occupational Therapist (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** — The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** — No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Occupational Therapist.	04*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay-matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(a)Essential : (i) Bachelor's degree in Occupational Therapy from a recognised University or institute; and (ii) two years practical experience in Occupational Therapy from a Government hospital or private hospital with at least fifty beds. (b)Desirable : Master's degree in Occupational Therapy in any branch from a recognised University or institute. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission /competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government;- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs.29,200-92300);

		and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).
--	--	--

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Director, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai -Chairman; 2. Deputy Director (Rehabilitation) -Member; 3. Professor (Physical Medicine and Rehabilitation), All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai -Member; 4. Head of Occupational Therapy, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai -Member.	Consultation with Union Public Services Commission is not necessary.

[F. No. A-11018/02/2016-MH.II/NCD-I]

NAVEEN AGGARWAL, Dy. Secy.

**अंतरिक्ष विभाग
(भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन)**

शुद्धिपत्र

बेंगलूर, 3 मार्च, 2026

सा.का.नि. 92.—अंतरिक्ष विभाग / भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में परिचर-ए. (जी.एस.आर. 44) के पद के संबंध में भर्ती नियमों के संदर्भ में इस विभाग की दिनांक 29 दिसंबर, 2025 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, इस पद हेतु भर्ती नियमों की अनुसूची (10) के तहत निम्नलिखित खंड जोड़ा जाता है :-

‘नोट 3: इस पद पर भविष्य में भर्ती होने वाले कर्मियों को मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में पदनामित किया जाएगा।’

[फा. सं. 26011/1/2025-I]

राजी आर., अवर सचिव

DEPARTMENT OF SPACE
(Indian Space Research Organisation)
CORRIGENDUM

Bangalore, the 3rd March, 2026

G.S.R. 92.— In partial modification of this Department's Notification of even number dated 29th December, 2025 regarding Recruitment Rules in respect of the post of Attendant-A (G.S.R. 44) in the Department of Space / Indian Space Research Organisation, the following clause is inserted under Schedule (10) of the Recruitment Rules for the post :-

'Note 3: The future recruitees to the post will be designated as Multi-Tasking Staff'

[F. No. 26011/1/2025-I]

RAJI R, Under Secy.

बेंगलूर, 3 मार्च, 2026

सा.का.नि. 93.— अंतरिक्ष विभाग / भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कार्यालय अधीक्षक (जी.एस.आर. 23) के पद के संबंध में भर्ती नियमों के संदर्भ में इस विभाग की दिनांक 29 दिसंबर, 2025 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, इस पद हेतु अनुसूची (3) के तहत विवरण तथा प्रविष्टि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

'संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतत् द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कार्यालय अधीक्षक (स्तर -8) समूह 'ख', अराजपत्रित पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं'

पद के लिए अनुसूची (3) के तहत प्रविष्टि के 'सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)' के रूप में पढ़ा जाए।

उपर्युक्त संशोधन 29 दिसंबर, 2025 से प्रभावी होंगे।

[फा. सं. 26011/1/2025-I]

राजी आर., अवर सचिव

Bangalore, the 3rd March, 2026

G.S.R. 93.— In partial modification of this Department's Notification of even number dated 29th December, 2025 regarding Recruitment Rules in respect of the post of Office Superintendent (G.S.R. 23) in the Department of Space / Indian Space Research Organisation, the recital and entry under Schedule (3) for the post is amended as follows :-

'In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Office Superintendent (Level-8), in the Indian Space Research Organisation.'

The entry under Schedule (3) for the post may please be read as 'General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)'.

The above modifications will be effective from 29th December, 2025.

[F. No. 26011/1/2025-I]

RAJI R, Under Secy.